न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 19/2016 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2016/00254

उनवान

प्रेमवती पुत्री गिल्ला पत्नी शिवलाल जाति जाटव निवासी ग्राम आमोली तहसील वैर हाल निवासी गादौली हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....अपीलांट।

बनाम

सीतोली पुत्र गिल्ला जाति जाटव निवासी ग्राम आमोली तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, वैर दिनांक 20.04.2016 उनवानी प्रेम बनाम सीतोली वगै0 मु0न0 63/15

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री सुघड सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 03.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के आदेश दिनांक 20.04.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थीया ने विवादित आराजी वाके ग्राम आमोली के सम्बन्ध में घोषणात्मक दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी के अपीलाण्ट/प्रार्थीया के पिता गिल्ला निस्फ हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी थे। उनकी मृत्यु होने पर रैस्पो0/अप्रार्थी के मन में बदयान्ती आ गई, और उसने ग्राम पंचायत सरपंच व सचित तथा राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर गैर कानूनी रूप से नामान्तकरण संख्या 687 वाके ग्राम आमौली में मृतक पिता गिल्ला के सजरा में अपीलाण्ट/प्रार्थीया को छुपाते हुए गैर कानूनी रूप से दाखिल खारिज स्वयं के नाम एवं माता चम्पी के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नाम विरासतन चढवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करा लिया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ताफैसला मूलवाद विवादित आराजी को रहन,वय व मुन्तकिल नहीं करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीया/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दोनों पक्षो के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित पारित किया है, जो काबिल खारिजी है। विवादित आराजी अपीलाण्ट के पिता गिल्ला की छोडी हुई सम्पत्ति है जिसमें अपीलाण्ट 1/3 भाग की खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है एवं बदस्तूर अपने पिता के जीवनकाल से काश्त करती चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण की अपील नहीं करने के आधार पर अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। नामान्तकरण की कार्यवाही एक फिसकल कार्यवाही है जिससे किसी पक्ष को कोई स्वत्व हासिल नहीं होता और ऐसे नामान्तकरणों का परीक्षण दावा में भी व्यथित पक्षकार द्वारा कराया जा सकता है। अपीलाण्ट द्वारा फर्जी रिलीज डीड के विरूद्ध पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या133/2013 दर्ज कराकर रिलीजडीड को दावा में नल एण्ड बोइड किये जाने का कथन किया है, ऐसी स्थिति में समझौता पत्र व रिलीजडीड एक विवादित दस्तावेज है। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन दस्तावेजो पर विश्वास करते हुए, अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2002 पेज 105, आरआरटी 2016–17 पेज 285 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी बाबत अपीलाण्ट ने आपसी सहमति व स्वीकृति से रिलीज डीड रैस्पो0 के हक में करा दी है एवं उक्त रिलीज डीड के आधार पर नामान्तरकरण भी खुल चुका है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही वह 1/3 भाग पर काबिज रही है और ना ही वर्तमान में काबिज है। क्योंकि अपीलाण्ट की शादी होने के बाद वह अपने पति के परिवार की सदस्य कानूनन होती है एवं गॉव गादौली में निवास करती है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2010(एस.सी.) पेज 202 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। प्रकरण में यह तथ्य तो निर्विवाद है कि विवादित भूमि उभयपक्ष के पिता गिल्ला की खातेदारी की भूमि रही है; पिता की खातेदारी भूमि होने से प्रथम दृष्टया, अपीलाण्ट का स्वत्व बनता है। परन्तु रैस्पो0/अप्रार्थी रिलीजडीड होना कथन करते है, रिलीजडीड का प्रभाव विस्तृत साक्ष्य विवेचना से वाद में तय होगा। फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 तय करते समय; दौराने वाद विवादित भूमि को सुरक्षित रखने के लिए स्थगन निरापद है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के आदेश दिनांक 20.04.2016 अपास्त किये जाते हैं एवं रैस्पो0/अप्रार्थी को ताफैसला मूल वाद विवादित भूमि को रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 03.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official